

① आर्धधातुक - आर्धधातुकं शेषः । उप। १। १। १। १। १।  
अर्थः - तिङ् शिद्भोऽन्यः धातोः इति विहितः प्रत्यय आर्धधातुक-  
संज्ञः स्यात् ।  
तिङ् और शित् प्रत्ययों को छोड़कर अन्य जिन प्रत्ययों  
का धातु से विधान किया गया है, उनकी आर्धधातुक-  
संज्ञा होती है।  
प्रथा - भू + तास् + तिप् = भविता यहाँ 'भू' धातु से  
'तास्' प्रत्यय हुआ है। यह प्रत्यय धात्वधिकार में है  
और तिङ् और शित् से भिन्न भी है। अतः  
प्रकृत सूत्र से 'तास्' की आर्धधातुक संज्ञा होती  
होती है।

② सर्वनामस्थान - सुडनपुंसकस्य । १। १। ५३  
अर्थः - स्वादि पञ्चवचनानि सर्वनामस्थानसंज्ञानि  
स्फुरन्क्लीबस्य ।  
नपुंसक से भिन्न सुट् (सुट् और जस् अम् और  
औट्) की सर्वनामस्थान संज्ञा होती है।

③ चि - शेषो घ्यसखि । १। ५। ५। ५। ५।  
अर्थः - अनदीसंज्ञो ह्रस्वो प्राविदुर्तो तदन्तं  
सखिवर्जं घिसंज्ञं स्यात् ।  
'सखि' शब्द को छोड़कर नदीसंज्ञक भिन्न ह्रस्व  
इकारान्त और उकारान्त शब्द घिसंज्ञक होते हैं।  
नदी संज्ञा दो अवस्थाओं में नहीं होती है।



- ① पुल्लिंग में ह्रस्व इकारान्त और ह्रस्व उकारान्त शब्द नदी संज्ञक नहीं होते। जैसे - हरि, भ्रानु, गुरु आदि।
- ② स्त्रीलिंग में डित् विभक्तियों के परे होने पर जब 'डित् ह्रस्वश्च' ॥५॥६ द्वारा नदी संज्ञा नहीं होती है। इस प्रकार इन दो स्वरों पर ही विसंज्ञा प्राप्त होती है।

⑤ आत्मनेपद - तङानावात्मनेपदम् । ॥५॥१००  
अर्थ:- तङ् प्रत्येहारः शानन्कानन्चौ - च आत्मनेपद-  
संज्ञाः स्मृः।

तङ् (त, आताम्, भ्र, वास्, आशाम्, एवम्, इट्  
वहि, महिड्) और प्रान् (शानन् और कानन्)  
की आत्मनेपद संज्ञा होती है।

अनुदात्तडित् आत्मनेपदम् । ॥३॥१२  
अर्थ:- अनुदात्तेतो डितश्च धातोरात्मनेपदं स्मात्।  
जब अनुदात्तेत् और डित् धातुओं से तङ्,  
शानन् और कानन् प्रत्ययों का विधान हो  
तब इनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है।

स्वरितमित् कर्त्रभिप्राये क्रियाफले । ॥३॥१२  
अर्थ:- स्वरितेतो मितश्च धातोरात्मनेपदं स्मात्  
कर्तृगामिनि क्रियाफले ।  
जब स्वरितेत् और मित् धातुओं से



तद्, शानच् और कानच् प्रत्ययों का विधान हो तो उनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है यदि क्रिया का फल कर्तृगामी हो।

5) परस्मैपद - शेषात् कर्त्तरि परस्मैपदम् । 1/3/78  
अर्थ: - आत्मनेपदनिमित्त हीनाद् धातोः कर्त्तरि परस्मैपदस्यात्।  
शेष से कर्त्तृमें परस्मैपद हो।  
आत्मनेपद संज्ञा सामान्यतः इन अवस्थाओं में होती है -  
1. भाववाच्य और कर्मवाच्य में, 2. अनुदात्त, 3. डित्, 4. स्वरित्, कर्त्तृगामी क्रियाफल होने पर, और 5. मित् कर्त्तृगामी क्रियाफल होने पर।  
सूत्र में 'शेष' कहने का यही तात्पर्य है कि इन अवस्थाओं को छोड़कर शेष में कर्त्तृवाच्य में परस्मैपद का विधान होता है।  
उदाहरण के लिए 'भू' धातु से आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है अतः उससे परस्मैपद होगा।

डॉ० ओम प्रकाश आर्य  
महाराजा कॉलेज, आरा।